कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ,देवरिया

पत्रांक 421 /2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 08 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :— **जनपद—देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया—कसया मार्ग (एस0एच0—79) के कि0मी0 11 (चैनेज सं0—11.100 के मध्य) दांयी पटरी पर गाटा संख्या—418/ग्राम—सिरसिया, तहसील व जिला—देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :— भारत सरकार के पत्र संख्या—8बी/यू0पी0/06/135/2023/एफ0सी0/201 दिनांक 26.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या—4073/11—सी—एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 28.06.2023 ।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तरालेख
1	2	3
1	दिनांक 22.03.2023 को गूगल अर्थ ईमेजरी के अनुसार डायर्वजन के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल निर्माण कार्य की गतिविधियॉं दिखाई दे रहा है।	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के एप्रोच मार्ग का निरीक्षण में पाया गया कि संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना अनुमति का किया गया है। जिसके क्रम में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के क्रम में रेंज केस संख्या—9/2022—23 जारी किया गया है तथा ई—3 रसीद सं0—12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि मु0 50,000.00 वसूल कर जमा करायी गयी है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि सड़क पटरी के किनारे (रैखिक) प्रस्तावित की गयी है। वन ब्लाक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि प्रस्तावित करने की आवश्यकता है।	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम समाज कुशहरी, तहसील व जिला—देवरिया में चयनित किया गया है जिसका डिजिटल मैप व टोपोशीट तथा प्राक्कलन संलग्न कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या—1 से 2 तक की आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R. J. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

/DM.BABU